3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 उत्पादन में वृद्धि तथा कोयला क्षेत्र में कार्यकुशलता से संबंधित उपाय

3.1.1 वृद्धिक अन्वेषण प्रयास

सीएमपीडीआईएल गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण हैं। सीएमपीडीआईएल, एमईसीएल तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान, गैर-सीआईएल ब्लॉकों के लक्ष्य, वास्तविक ड्रिलिंग तथा चालू वित्त वर्ष (2014-15) के लक्ष्य इस प्रकार है:-

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तिवक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि %
2012-13	1.75	2.28	2.70
2013-14	3.62	2.38	4.39
2014-15	4.16		

तालिका 3.1

12वीं योजना अवधि के दौरान 38 गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 15.00 लाख मीटर की ड्रिलिंग की आयोजना की गई है। सीएमपीडीआईएल का अपनी विभागीय क्षमता को 2015-16 तक 3.5 लाख मीटर प्रति वर्ष से 4 लाख मीटर तक बढ़ाने का विचार है ताकि सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की वृद्धिक मांग को पूरा किया जा सके।

12वीं योजना में सीआईएल में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य 36.10 लाख मीटर है। सीआईएल ब्लॉकों में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक ड्रिलिंग तथा चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) के लिए लक्ष्य निम्नवत हैं:-

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तिवक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि %
2012-13	4.07	3.35	23.20
2013-14	5.38	4.59	37.01
2014-15	7.84		

तालिका 3.2

उत्पादन में कमी के कई कारण हैं, कई कोयला ब्लॉकों में एक मुख्य समस्या गंभीर कानून तथा व्यवस्था की हैं। ड्रिलिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का दूसरा कारण वन अनुमोदन की अनुपलब्धता है। पिछले चार वर्षों से वन अधिकारियों के पास कुल 63 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। लक्ष्यों को प्राप्त न करने के लिए निजी क्षेत्र में कुशल जन शक्ति की कमी और अपर्याप्त क्षमता कुछ अन्य कारण हैं। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रमुख सार्वभौम कंपनियों को आकर्षित करने हेतु एक नीतिगत आदेश के साथ आगामी वर्षों में सीएमपीडीआईएल को सुदृढ़ करने की आयोजना की जा रही है। यह उम्मीद है कि वन अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

3.1.2 कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में सीआईएल से विचारित कोयला उत्पादन तथा 13वीं योजना के अंतिम वर्ष 2021-22 में अनुमानित उत्पादन निम्नवत है:-

(उत्पादन मिलियन टन में)

	2016-17
मौजूदा खानें	23.82
पूर्ण परियोजनाएं	161.72
चल रही परियोजनाओं	333.33
नई परियोजनाएं	96.13
कुल	615

तालिका 3.3

इन तीन कोलफील्डों अर्थात सीसीएल में उत्तरी करणपुरा; एसईसीएल में मांद-राजगढ़ तथा एमसीएल में ईब घाटी से उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि पर विचार किया गया है और इन कोलफील्डों में रेलवे परियोजनाओं की स्थापना पर उत्पादन आश्रित है।

कोयला मंत्रालय उनकी दिक्कतों/समस्याओं से निपटने के लिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्य कर रहा है। संभावित परिणाम वार्षिक कार्य योजना, उत्पादन तथा उठान लक्ष्यों, ओबीआर रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन और लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। कोयला धुलाई क्षमता में वृद्धि करने तथा महत्वपूर्ण रेल और सड़क संपर्कों के कार्यान्वयन की निकट से निगरानी से सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीआईएल की भावी योजना के अनुसार 13वीं योजना के अंतिम वर्ष 2021-22 में अनुमानित उत्पादन 795 मि.ट. है।

3.1.3 परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

सीआईएल में 116 चालू खनन परियोजनाएं तथा 25 गैर-खनन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजनाओं की नियमित निगरानी की पद्धति क्षेत्र स्तर पर तथा मुख्यालय स्तर पर मौजूद है। बोर्ड स्तर पर भी सतत आधार पर निगरानी की जाती है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग भी ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग सिस्टम के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक लागत वाली चल रही परियोजनाओं की निगरानी करता है तथा मासिक आधार पर संबंधित सहायक कंपनी द्वारा स्थिति को अद्यतन किया जाता है। 500 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली और 300 मिलियन टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली प्रमुख परियोजनाओं की तिमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

सीआईएल 50605 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश से 434 मिलियन टन प्रति वर्ष की चरम क्षमता के लिए 12वीं योजना में 126 नयी परियोजनाओं को शुरू करने की आयोजना करती है। आज की तारीख तक उसने 9 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं तथा 36 परियोजनाओं को सिद्धांतगत अनुमोदन दे दिया है जिनमें निवेश पर अंतिम निर्णय लेने हेतु ईसी तथा एफसी प्राप्त करने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ईसी तथा एफसी से संबंधित लंबित मसलों का समाधान निकालने के लिए सचिव (कोयला मंत्रालय) और सचिव (एमओईएफ) के बीच नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय लंबित मसलों का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठा रहा है।

3.1.4 भूमिगत खनन में वृद्धि करने के लिए नीतियां विकसित करना:

वर्षों से भूमिगत उत्पादन में कमी आयी है जो एक बड़ी चिन्ता का क्षेत्र हो गया है। 12वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2016-17 में 55.89 मिलियन टन उत्पादन का विचार किया गया है। तथापि, हाल ही समाप्त वर्ष 2013-14 में वास्तविक उत्पादन केवल लगभग 36 मिलियन टन हुआ है। सीआईएल में प्रचालित 249 भूमिगत खानों में लगभग सभी घाटे वाली हैं और उनमें से कई रिक्त खानें हैं। भूमिगत खानों के घाटे को ओपनकास्ट खानों से प्राप्त लाभ से पूरा किया जा रहा है। यह एक समर्थनीय समानुपात नहीं है तथा इस स्थिति की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।

कोयला मंत्रालय ने सीआईएल की खानों से भूमिगत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक अध्ययन का प्रस्ताव किया है। भूमिगत उपकरण पर शून्य आयात शुल्क; सार्वजनिक निवेश के निर्धारण के अनुसार 12% आईआरआर प्राप्त करने हेतु भूमिगत खानों के विकास के लिए लागत जमा

प्रस्ताव; तेजी से पदौन्नतियों के साथ भूमिगत खानों में तकनीकी जनशक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए उच्चतर भत्ते प्रदान करना; भूमिगत खानों में कार्य करने के लिए जनशक्ति को आकर्षित करने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन के साथ विशेषज्ञ कौशल विकास कार्यक्रम आदि सुविधाजनक उपायों की संभावना है। 249 खानों में से 199 खानें एसडीएम/एलएचडी लदान के साथ अर्द्ध यंत्रीकृत हैं; 16 खानें मैनुवल तथा अर्द्ध-यंत्रीकृत (एसडीएल/एलएचडी) दोनों लदान वाली हैं; 7 खानों में सतत खनिक मुहैया कराए गए हैं; खान शार्टवाल खनन प्रौद्योगिकी के साथ प्रचालन में है तथा 4 खानें लोंगवाल खनन प्रौद्योगिकी के साथ प्रचालन में हैं। उत्पादन के सुधार के लिए सहायक कंपनी-वार विस्तृत कार्य योजना पाइपलाइन में है।

3.1.5 सीआईएल द्वारा सप्लाई किए गए कोयले की तृतीय पक्ष के नमूनाकरण के कार्यान्वयन से निगरानी

कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 01.10.2013 से सभी सहायक कोयला कंपनियों में तृतीय पक्ष की नमूनाकरण पद्धति मौजूद है। यदि किसी कारणवश तृतीय पक्ष का नमूनाकरण और विश्लेषण आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो लदान स्थल पर खरीददार की उपस्थिति में संयुक्त नमूनाकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। दोनों में से किसी भी तरह से नमूना एकत्र न करने की स्थिति में ऐसे प्रेषणों के लिए पूर्ववर्ती महीने के औसतन भारित ग्रेड को अपनाया जाता है। कोल इंडिया लि. खरीददार के परामर्श से लदान स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को कारगर बनाने के लिए दूसरे उपायों को शुरू करने जा रहा है।

3.1.6 उत्पादकता मानदण्डों की समीक्षा

समय-समय पर विभिन्न समितियों ने हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हेम) की उत्पादकता के मुद्दे की जांच की है। हाल ही में 2013 में समिति का गठन किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

3.1.7 बेंचमार्किंग उत्पादकता, सुरक्षा गुणवत्ता और कोयले के क्रैशिंग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना

उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में सतत खनिक की तैनाती की आयोजना की गई है। 4 खानों में तैनाती के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। लांगवाल परियोजनाओं का उपयोग करके खानों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। कोयले के प्रेषण की निगरानी रखने के लिए जीपीएस को लगाना एक प्राथमिकता क्षेत्र है। सभी कोलफील्ड क्षेत्रों में उपलब्ध क्रैशिंग की क्षमताओं को इस प्रकार से

सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है कि विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किया जा रहा सभी कोयला दिसम्बर, 2014 तक (-) 100 एमएम में क्रैश हो।

3.1.8 कोयले की धुलाई पर बल देना

सीआईएल पिटहेडों से 1000 किलोमीटर दूर अवस्थित 54 तापीय विद्युत स्टेशनों को 34% से कम राख की मात्रा का 83 मिलियन टन कोयला आपूर्ति कर रहा है। उसे 05.06.2016 तक 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी वाले तापीय विद्युत संयंत्रों को 34% से कम राख की मात्रा वाले अतिरिक्त 46 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। अत: 73.5 मि.ट. प्रति वर्ष की कच्चे कोयले की क्षमता वाली 10 नयी कोयला वाशरियों की आयोजना की गई है और वे निविदा देने / निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कोकिंग कोयले के लिए 6 नयी वाशरियां भी पाइपलाइन में हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा कोयला लिंकेजों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.9 सीआईएल में प्रौद्योगिकी विकास तथा खानों का आधुनिकीकरण

सीआईएल ने खानों के प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण का अध्ययन करने और सलाह देने के लिए सीआईएल/सीएमपीडीआईएल ने जान टी बायड कंपनी (यूएसए) के सहयोग से केएमपीजी एडवाइजरी ग्रुप (इंडिया) को रखा है। अध्ययन के विचारार्ध विषय निम्नवत हैं:-

- सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों की भूमिगत खानों तथा ओपनकास्ट खानों में सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी की स्थिति का आकलन करना;
- सीआईएल के विभिन्न कोलफील्डों में भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमियों का आकलन करना;
- 12वीं, 13वीं तथा 14वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सीआईएल की अनुमानित कोयला उत्पादन योजनाओं के संदर्भ में खान आयोजना एवं खान डिजायन और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता का मूल्यांकन करना;
- अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात निर्भरता की तुलना में घरेलू क्षमताओं का मूल्यांकन करना;
- कोलफील्ड-वार अनुमानित प्रौद्योगिकी उन्नयन को पूरा करने के लिए पद्धति विकास का आकलन तथा अवरोधों का मूल्यांकन करना;
- सीआईएल में कोलफील्ड-वार प्रौद्योगिकी विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा ओटोमेशन का मूल्यांकन करना;
- विभिन्न योजना अवधियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए रूपरेखा तैयार करना।

जो अध्ययन पूरा हुआ है उसमें 36 भूमिगत खानें, 35 ओपनकास्ट खानें और 14 अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित 14 कोलफील्डों के 85 यूनिट शामिल हैं। सीआईएल द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन हेतु सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने की आशा है। प्रबंधन तथा मानव संसाधन व्यवहारों, प्रचालनात्मक कार्यकुशलता, एवं सहायक कंपनियों को अधिकार देने में सुधार लाने हेतु पुनर्संरचना पर ध्यान दिया जाएगा। उत्पाद तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार गुणवत्ता में सुधारे करने, लागत में कमी लाने तथा सामग्री की आवाजाही में सुधार करने के लिए लिंकेजों को युक्तिसंगत बनाने के लिए तत्काल उपाय कर दिए गए हैं।

3.2 झारखण्ड रानीगंज में पुराने खनित क्षेत्रों से आग, धंसाव तथा पुनर्वास का समाधान करने की मास्टर योजना

प्रत्येक पांच वर्षों के लिए दो चरण में 10/12 वर्षों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न ईएमएससी योजनाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 116.23 करोड़ रूपए को छोड़कर 9657.61 करोड़ रूपए (7028.40 करोड़ रूपए झरिया कोलफील्ड के लिए तथा 2629.21 करोड़ रूपए रानीगंज कोलफील्ड के लिए) अनुमानित पूंजी निवेश से आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने की झरिया और रानीगंज कोलफील्डों तथा सतही-अवसंरचना के परितर्वन की मास्टर योजना अगस्त, 2009 में अनुमोदित की गई है। झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: गैर-बीसीसीएल/गैर-ईसीएल मकानों के पुनर्वास हेतु झरिया पुनर्वास तथा विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में पहचान की गई है। मास्टर योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा झारखण्ड और प.बंगाल राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक इस समिति की नौ बैठकें हो चुकी हैं तथा प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर की जा रही है।

3.2.1 खान पुनरूद्धार तथा पुनर्वास की तृतीय पक्ष की निगरानी

खान क्लोजर योजना, खनन योजना का एक अभिन्न अंग है। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भू-उपयोग प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अधिक तथा कम स्वीकार्य स्तरों तक एवं खनन को वापस लाने के आशय से खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि के प्रति कोयला मंत्रालय ने खान क्लोजर के लिए सख्त दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है और खनित क्षेत्रों के पुनरूद्धार के लिए तृतीय पक्ष की निगरानी के लिए एक अध्ययन का प्रस्ताव किया है।

3.2.2 भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुनरूद्धार (तकनीकी तथा जैविक दोनों) तथा खान क्लोजर पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग केन्द्र, हैदराबाद के साथ भागीदारी द्वारा भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है। उत्खनित तथा पुनरूद्धार किए गए क्षेत्र के कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

कंपनी	उत्खनित भूमि	पुनरूद्धार की गई भूमि (हेक्टेयर में)	
		तकनीकी	जैविक
ईसीएल	2107.71	1074.00	341.16
बीसीसीएल	2865.85	1018.73	291.00
सीसीएल	4783.00	3837.00	996.70
डब्ल्यूसीएल	5460.00	800.00	532.13
एसईसीएल	6540.00	3667.93	2498.13
एमसीएल	3652.39	1917.09	820.12
एनसीएल	3781.00	2978.00	2451.00
एनईसी	347.83	66.11	45.80
कुल सीआईएल	**29536.78**	**15358.86**	**7976.04**

3.3 कोयला नियंत्रक के संगठन को सुदृढ़ करना

हाल के वर्षों में कोयला क्षेत्र सहित उसकी नीतिगत रूपरेखा तथा विधिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से कोयला नियंत्रक के संगठन की पुनर्संरचना करने तथा उसके पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता हुई। इस पृष्ठ भूमि में इस उद्देश्य के साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) को एक अध्ययन अवार्ड किया गया था कि कोयला नियंत्रक संगठन एक विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरण के रूप में अधिक समर्थक भूमिका एवं कार्य का उत्तरदायित्व लें। पर्यावरण तथा सुरक्षा दो मुख्य मसले हैं जिनके लिए कोयला क्षेत्र को संघर्ष करना है और कोयला नियंत्रक संगठन को स्वविवेकी समन्वयक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है और उसे डीजीएमएस, एमओईएफ तथा राज्य सरकारों की तरह उद्योग तथा विनियामकों के बीच एक संपर्क अभिकरण बनाना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह मंत्रालय के विचाराधीन है।

3.4 कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी

2013-14 के बजट भाषण में देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए भागीदारों में एक भागीदार के रूप में कोल इंडिया लि. के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) हेतु घोषणा की गई थी। तदनुसार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की रूपरेखा के भीतर सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करने के लिए सचिव (केायला) की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी समिति गठित की गई थी जिसमें अन्यों के अलावा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय (डीईए), श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय (डीएलए) के प्रतिनिधि शामिल थे। इस पहल का बुनियादी उद्देश्य सीआईएल की कोयला खानों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रमुख खनन कंपनियों के साथ भागीदारियां आकर्षित करना था। समिति ने खान विकासकर्त्ता तथा प्रचालकों (एमडीओ) मॉडल सहित विभिन्न माडलों पर विचार-विमर्श किया। सीआईएल में एमडीओ को रखने के लिए एक आदर्श रियायत करार (एमसीए) को अंतिम रूप दिया गया है तथा उसे सीआईएल को उनके बोर्ड द्वारा अपनाने हेतु भेजा गया है।

3.4.1 पायलेट परियोजना

सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत महानदी कोलफील्ड लि. में एक अन्वेषित ग्रीनफील्ड कोयला खान (सियारमल) शुरू की गई है। एमसीएल द्वारा सम्पादन सलाहकार की नियुक्ति और बोली दस्तावेजों को तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। ब्लॉक का खान विकास चरणबद्ध रूप से होगा तथा एमसीएल को उम्मीद है कि वह प्रारंभिक अनुमोदन तीन से पांच महीने में प्राप्त कर लेगा।

3.4.2 कोयले के अन्वेषण तथा खनन के लिए पीपीपी

योजना आयोग ने कोयले के अन्वेषण तथा खनन के लिए एक आदर्श रियायत करार का प्रारूप तैयार किया है।

इस पहल का बुनियादी उद्देश्य उन राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायता करना है जिन्हें कोयला ब्लॉकों का आबंटन कर दिया गया है परन्तु कोयला खनन के लिए अन्वेषण एवं अपेक्षित प्रारंभिक क्रियाकलापों को करने के लिए उनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है। अन्वेषण तथा प्रारंभिक क्रियाकलापों में पर्याप्त समय तथा प्रयास को देखते हुए 12वीं योजना के अंत तक घरेलू मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर एक ही कंपनी को टर्न की आधार पर संपूर्ण कार्य देने का प्रस्ताव किया गया है।

सीआईएल तथा सीएमपीडीआईएल के परामर्श से इस दस्तावेज की जांच की जा रही है।

3.5 कोयला ब्लॉकों के आबंटन से संबंधित नीति में परिवर्तन

3.5.1 संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान

खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 9 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित किया गया है जिसमें ऐसी शर्तें जिसे निर्धारित किया जाए, पर प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन लीज प्रदान करने की व्यवस्था है। तथापि, यह निम्नालिखत मामलों में लागू नहीं होगा:-

- जहां ऐसे क्षेत्र को खनन अथवा ऐसे अन्य निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम के आबंटन हेतु विचार किया जाता है;
- जहां ऐसे क्षेत्र को किसी कंपनी अथवा निगम को आबंटन करने के लिए विचार किया जाता है जिसे टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्द्धी बोलियों के आधार पर किसी विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) को दिया गया हो।

3.5.2 संशोधित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम:

सरकार ने 2 फरवरी, 2012 को कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी नियमावली, 2012 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए 27 दिसम्बर, 2012 को कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी (संशोधन) नियमावली, 2012 को अधिसूचित किया है। इसमें पूर्व निर्धारित मानदंडों तथा कोयले की उपयोगिता के आधार पर आबंटन के लिए सरकारी कंपनी के चयन हेतु विस्तृत शर्तें दी गई हैं।

3.5.3 नीलामी के तौर-तरीके

कोयला मंत्रालय ने न्यूनतम मूल्य / आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, आदर्श निविदा दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने और सफल बोलीदाताओं के साथ संपन्न किए जाने वाले प्रारूप करार हेतु तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट के माध्यम से मैसर्स क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजारी को एक पमरार्शदाता के रूप में रखा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 24.09.2013 को तौर-तरीके अनुमोदित किए थे।

3.5.4 सरकारी वितरण के अधीन कोयला ब्लॉक

राज्य सरकार की कंपनियों / निगमों / सीपीएसयू को 17 कोयला ब्लॉकों (14 विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग अर्थात विद्युत और 3 ब्लॉक खनन के लिए) के आबंटन को शून्य किया गया है। सरकार द्वारा संबंधित पात्र कंपनियों के साथ प्रस्तावित कोयला खान उत्पादन तथा विकास करार संपन्न करने की प्रक्रिया चल रही है।

3.5.5 लिग्नाइट ब्लॉक

इसके अलावा, सरकार ने विद्युत / वाणिज्यिक खनन / भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों में स्थित 5 लिग्नाइट ब्लॉकों की भी पेशकश की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कम केलोरिक कीमत, उच्च आर्द्रता तथा नरम / भुरभुरा खनिज की प्रकृति की वजह से अधिक लम्बी दूरी तक लिग्नाइट की आवाजाही नहीं की जा सकती है, विशेषकर गुजरात और राजस्थान राज्य की सरकारी कंपनियों/निगमों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है।

3.5.6 टैरिफ आधारित बोली पर अवार्ड की गई विद्युत परियोजनाओं को अवार्ड किए गए कोयला ब्लॉक

उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जिसमें कोयलाधारी क्षेत्र का आबंटन ऐसी कंपनी अथवा निगम को सर्वेक्षण, अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा राज्य सरकार की कंपनियों /निगमों से खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना अवार्ड की गई है, आबंटन की प्रक्रिया चल रही है। 4 कोयला ब्लॉकों की पेशकश करते हुए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस 20.12.2013 को जारी किया गया है।

3.5.7 केप्टिव अन्त्य उपयोग (विद्युत के अलावा) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों की नीलामी

उपर्युक्त के अलावा, प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन की प्रक्रिया चल रही है। इस्पात, सीमेंट और स्पंज लौहे के उत्पादन में लगी कंपनियों को खनन के लिए 3 कोयला ब्लॉकों की पेशकश हेतु 26.02.2014 को आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया था। लागत में वृद्धि करने, बैंक की योग्यता में बढ़ोतरी करने और कोयला ब्लॉकों से समय पर उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विस्तृत अन्वेषण तथा आवश्यक अनुमोदन के पश्चात कोयला ब्लॉकों की नीलामी का प्रयास करेगी।

3.5.8 अतिरिक्त कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचाना करना

अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों की पहचान करने, उन कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द करना जिसमें कोई विवाद नहीं है, के लिए अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है जिसमें कोयला मंत्रालय, सीआईएल, सीएमपीडीआईएल, कोयला नियंत्रक संगठन और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति सीबीएम ब्लॉक आबंटितियों द्वारा मांगे गए क्षेत्रों में कोयला ब्लॉकों के आबंटन की भी जांच करेगी।

3.5.9 कोयला क्षेत्र को खोलना

विद्युत क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश के कोयला क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु निजी कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन की प्रतिपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसलिए राज्य सभा में लंबित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 को आगे बढ़ाने के साथ-साथ निजी कंपनियों द्वारा केवल विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए कोयले का खनन करने के प्रतिबंध को हटाने के लिए एमएमडीआर अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन पेश करने की आवश्यकता है। इसे ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न स्टेकधारियों के परामर्श से किया जाएगा तथा इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत कामगार प्रतिकूल से प्रभावित न होते हों। निजी कंपनियों का चयन एक पारदर्शी पद्धति में किया जाएगा और विद्युत क्षेत्र को उचित कीमतों पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम जनता को कम कीमत पर बिजली दी जाए।

3.6 कोयला विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर तथा व्यापक अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के बाद सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया। तदनुसार, 13.12.2013 को लोकसभा में कोयला विनियामक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा के विघटन के कारण आगामी सत्र में निचले सदन में इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

इस विधेयक में विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की व्यवस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य अर्थात सदस्य (विधिक), सदस्य (तकनीकी), सदस्य (वित्त) तथा सदस्य (उपभोक्ता हित) होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।

3.6.1 कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 में विचारित मुख्य कार्य

- कोयले के ग्रेडों अथवा गुणवत्ता घोषित करने हेतु परीक्षण के तरीकों का विनियम द्वारा उल्लेख करना;
- खानों को बंद करने हेतु अनुमोदित खान परियोजना के अनुसार खानों को बंद करने की निगरानी करना तथा उन्हें लागू करना;
- खनन योजनाओं का अनुमोदन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना;
- कोयला धुलाई प्रक्रिया के दौरान सृजित कच्चे कोयला,धुले हुए कोयले तथा अन्य कोई उत्पाद के मूल्य के निर्धारण हेतु सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली का उल्लेख करना ;
- कोयला उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठानों से सूचना, रिकार्ड अथवा अन्य दस्तावेज मंगाना तथा सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रकाशित करना;
- खान सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र को छोड़कर प्रचालनात्मक क्षमता हेतु कार्य निष्पादन एवं मानकों का मापदंड निर्दिष्ट करना ;
- स्वचालित कोयला नमूनाकरण एवं भार मापने हेतु प्रणाली निर्दिष्ट करना ;
- कोयला क्षेत्र में नीतियों के निर्धारण में परामर्शी भूमिका निभाना।

3.7 सीसीडीए विधेयक को पुन: प्रस्तुत करना

प्रस्तावित विधेयक सीएम (सी एंड डी) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अधीन सभी प्रकार के कोयले के लिए रेत भरायी तथा उत्पादन शुल्क की सीमा मौजूदा 10 रूपए प्रति टन से बढ़ाकर 50 रूपए प्रति टन करने के लिए कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के प्रावधानों में संशोधन करने के संबंध में है।

लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक को कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति को जांच हेतु भेजा गया था। स्थायी समिति ने संशोधन विधेयक की सिफारिश की जो लोकसभा के विचारार्थ लंबित पड़ा था। 15वीं लोकसभा के विघटन के बाद इस विधेयक को समाप्त माना समझा गया है। संशोधन हेतु प्रस्ताव को नए सिरे से मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.8 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियां सीएसआर नीति के तहत कोलफील्ड क्षेत्रों तथा उसके इर्द-गिर्द विभिन्न कल्याणकारी क्रियाकलापों को कर रही हैं। सीआईएल की जून, 2010 में लागू एक सुपरिभाषित सीएसआर नीति है जो सीएसआर पर केन्द्रीय पीएसयू के लिए सार्वजनिक

उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है तथा सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए भी लागू है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को निपटाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के अधीन सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को आबंटित तथा खर्च की गई राशि के ब्यौरे सहायक कंपनी-वार नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रू. में)

कंपनी	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (दिस. 13 तक)	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
ईसीएल	5.00	4.74	16.50	3.14	23.89	09.42	29.35	6.09
बीसीसीएल	13.75	3.15	14.50	05.53	23.63	07.43	30.50	5.01
सीसीएल	25.69	10.98	53.88	11.00	47.72	13.66	26.42	17.20
डब्ल्यूसीएल	23.00	7.13	55.82	07.85	40.67	20.96	29.46	10.98
एसईसीएल	54.00	7.05	146.44	17.66	181.79	46.63	63.94	43.38
एमसीएल	52.04	53.46	82.00	14.47	73.36	25.56	101.72	59.07
एनसीएल	36.00	4.25	93.42	09.25	95.73	17.64	48.99	28.79
सीएमपीडीआईएल	0.20	0.19	0.77	00.49	1.63	01.06	1.82	0.51
सीआईएल एंड एनईसी	52.60	8.71	90.00	02.59	107.32	07.19	142.16	107.36
कुल	262.28	99.66	553.33	82.00	595.74	149.55	477.36	278.39